रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2015/वैशाख 25, 1937
No. 309] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2015/VAISAKHA 25, 1937

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2015

सा.का.नि. 386(अ).—केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 22 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) और धारा 100 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेट्रो रेल नियम, 2013 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मेट्रो रेल साधारण (संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. मेट्रो रेल साधारण नियम, 2013 में नियम 63, नियम 64 और नियम 65 में निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

63. कतिपय मामलों में एकल लाइन कार्यकरण को अपनाना.—निम्नलिखित परिस्थितियों में एकल लाइन कार्यकरण अपनाया जाएगा, अर्थात् :—

(1) सिग्नल प्रणाली में दोनों दिशाओं में प्रचालन की अनुमति है तो एकल लाइन अथवा दोहरी एकल लाइन पर साधारण प्रचालन अपनाया जाएगा और ऐसा प्रचालन नियम 64 के उप-नियम (i) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।

(2) जब किसी भी एक चालू लाइन पर किन्हीं दो स्टेशनों के बीच लाइन के एक भाग पर कोई अवरोध हो तो रेल सेवा अप्रभावित ट्रैक पर एकल लाइन कार्यकरण का उपयोग करते हुए निकटवर्ती लाइन पर दोनों दिशाओं पर प्रभावित सेक्शन में जारी रखी जा सकेगी और ऐसा एकल लाइन कार्यकरण नियम 64 के उप नियम (2) के अंतर्गत यथानिर्दिष्ट रीति से प्रचालित किया जाएगा ।

64. **कार्यान्वयन.**—(1) नियम 63 के उप-नियम (i) के अधीन एक एकल लाइन अथवा दोहरी एकल लाइनों पर साधारण प्रचालनों के प्रयोजन से निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) ट्रेन एकल लाइन अथवा दोहरी एकल लाइनों की संबंधित लाइन पर सांकेतिक मैनुअल मोड अथवा स्वचालित मोड (यदि सिग्नल प्रणाली में अनुमति हो) के अंतर्गत कैब संकेतों के नियंत्रण में प्रचालित की जाएगी ।

(ii) सांकेतिक मैनुअल मोड अथवा स्वचालित मोड के अंतर्गत कैब संकेतों के खराब होने की स्थिति में, ट्रेनों को विशेष अनुदेशों के अंतर्गत सीमित मैनुअल मोड, रन ऑन साइट मोड अथवा कट आउट मोड पर चलाए जाने की अनुमति दी जा सकती है ।

(2) नियम 63 के उप नियम (2) के प्रयोजन के लिए, जहां किसी चालू लाइन पर किसी लाइन के भाग से बाधा उत्पन्न होती है तो यातायात नियंत्रक मुख्य नियंत्रक के परामर्श से निम्नलिखित तरीके से एकल लाइन कार्यकरण के कार्यान्वयन हेतु निर्णय ले सकता है, अर्थात् :—

(i) अप्रभावित ट्रैक पर एकल लाइन कार्यकरण यातायात नियंत्रक द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुसार रेलगाडियों की फ्लीट को एक दिशा में समूह में अंतरालो पर भेजकर प्राप्त किया जाएगा और दूसरी दिशा में भी रेलगाडियों के समूह द्वारा इसका अनुसरण किया जाएगा ।

(ii) यातायात नियंत्रक, विपरीत दिशा में रेलगाड़ी गुजरने से पूर्व, एकल लाइन सेक्शन में प्रत्येक स्टेशन पर स्टेशन नियंत्रक को सूचित करेगा।

(iii) स्टेशन नियंत्रक प्रयुक्त प्लेटफार्म पर भीड़ की निकट से निगरानी करेगा और बढ़ती हुई भीड़ के खतरनाक स्थिति में पहुंचने पर, स्टेशन का प्रवेश मार्ग बंद कर देगा।

(iv) इन स्टेशनों के स्टेशन नियंत्रक यात्रियों को दृश्य-श्रव्य घोषणाओं द्वारा आवश्यक सूचना देंगे और यात्रियों के सही प्लेटफार्म पर पहुंचने के लिए जो भी अन्य उपाय आवश्यक हो, करेंगे।

(v) यातायात नियंत्रक सभी रेलगाड़ियों के रेलगाड़ी प्रचालकों को एकल लाइन कार्यकरण की अवस्थिति और दिशा के बारे में सूचित करेगा।

(vi) रेलगाड़ियां यात्रा की सामान्य दिशा में स्वचालित रेलगाड़ी प्रचालन सहित सामान्य सिगनल व्यवस्था के अधीन चलेंगी और यात्रा की विपरीत दिशा में यदि सिगनल प्रणाली अनुज्ञा देती हो तो रेलगाड़ी सामान्यतया स्वचालित पद्धति या सांकेतिक हस्तचालित पद्धति के अधीन चलेंगी और निर्बंधित हस्तचालित पद्धति, रन्. ऑन साइट पद्धति, या कट-आउट पद्धति जैसी अन्य पद्धतियों का भी विशेष अनुदेशों के अधीन यात्रा की विपरीत दिशा में रेलगाड़ी प्रचालन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(vii) जब साधारण कार्यकरण को बहाल किया जाना हो, तब यातायात नियंत्रक, एकल लाइन सेक्शन के प्रत्येक स्टेशन पर स्टेशन नियंत्रक को उस सेक्शन की अंतिम रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलाए जाने के लिए सूचित करेगा जिसके पश्चात् साधारण स्टेशन प्रचालन बहाल किया जाएगा।

65. सिगनल व्यवस्था का विफल होना.—संकेतक किसी रेलपथ के साइड सिगनल उपस्कर के विफल होने की दशा में, जिससे सभी रेलगाड़ियों पर निर्बाधित हस्तचालित नियंत्रण आवश्यक हो जाता है, नियम 64 के उप नियम (2) के अधीन एकल लाइन कार्यकरण को तुरंत स्थगित कर दिया जाएगा और उस स्थिति में आवश्यक होने पर रेलगाड़ी उसी सेक्शन में यात्रा की साधारण दिशा में गुजर सकेगी, और उपकरण की मरम्मत के पश्चात् एकल लाइन चालन को पुनः बहाल किया जा सकेगा।

[फा. सं. के-14011/14/2012-एमआरटीएस-II]

अम्बुज बाजपेयी, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के आसाधारण राजपत्र में के संख्या सा.का.नि. 246(अ) दिनांक 18 अप्रैल, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2015

G.S.R. 386(E).—In exercise of powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 22 and clause (e) sub-section (2) of Section 100 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Metro Railways General Rules, 2013, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Metro Railways General (Amendment), Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Metro Railways General Rules, 2013, in rules 63, 64 and 65, the following rules shall be substituted, namely:—

63. Adoption of Single Line Working in certain cases.—Single Line working shall be adopted in the following situations, namely:—

(1) Normal operation on a Single line or on Twin Single Lines shall be adopted when the signaling system permits operation in both directions, and such operation shall be carried out as per procedure specified under sub-rule (i) of rule 64.

(2) When there is an obstruction on a portion of line between any two stations on one of the running lines, the train services may be continued in the affected section on the adjacent line in both directions using single line working on the unaffected track, and such single line working shall be operated in the manner as specified under sub-rule (2) of rule 64.

64. Implementation.—(1) For the purpose of normal operations on a Single line or Twin Single Lines under sub-rule (i) of rule 63, the following procedure shall be followed, namely:—

(i) the train shall operate under the authority of cab signals under Coded Manual Mode or Automatic Mode (if signaling system permits) on the single line or on the respective line of twin single lines;

(ii) in case of failure of cab signals under Coded Manual Mode or Automatic Mode, the trains may be allowed to run under the Restricted Manual Mode, Run On Site Mode or Cut Out Mode, under Special Instructions.

(2) For the purposes of sub-rule (2) of rule 63, where a portion of a line is obstructed on any of the running lines, the Traffic Controller may, after consultation with the Chief Controller, decide to implement the single line working, in the following manner, namely:—

(i) Single line working on the unaffected track shall be achieved by fleeting of trains in groups in one direction at intervals decided by the Traffic Controller followed by a group of trains in the other direction;

(ii) the Traffic Controller, shall before the train passes in the reverse direction, inform to the Station Controller at each of the stations in the single line section;

(iii) the Station Controllers shall also closely monitor crowding on the platform in use and prepare to close entrances to the station if overcrowding becomes dangerous;

(iv) the Station Controllers at these stations shall inform passengers by visual and audible announcement and take such other measures as may be necessary to direct passengers on the correct platform;

(v) the Traffic Controller shall inform the Train Operators of all trains of the location and direction of the single line working;

(vi) trains shall work under normal signaling including Automatic Train Operation in the normal direction of travel and in the case of reverse direction of travel, if signaling system permits, the train shall normally work under Automatic Mode or Coded Manual Mode and other Modes like Restricted Manual Mode, Run On Site Mode or Cut Out Mode may also be used for train operation in the reverse direction of travel, under Special Instructions;

(vii) when normal working is to be restored, the Traffic Controller shall inform the Station Controller at each station of the single line section, of the last train to pass the section in the reverse direction after which normal station operation shall be restored.

65. Signaling Failures.—In the event of a failure of a track side signaling equipment which makes Restricted Manual operation necessary on all trains, single line working under sub-rule (2) of rule 64 shall be suspended immediately and if necessary, train may still pass through the section in the normal direction of travel and after defect is repaired; single line working may be resumed.

[F. No. K-14011/14/2012-MRTS-II]

AMBUJ BAJPAI, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published *vide* number G.S.R. 246(E), dated 18th April, 2013 in the Gazette of India, Extraordinary.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.